पत्र संख्या–वनभूमि–03/2019–व०प० 790

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

राँची, दिनांक–21/02/2019

विषय :– JUSNL का 220 के0 वी0 डी0/सी0 जसीडीह–गिरिडीह ट्रांसमिशन लाईन निर्माण हेतु गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल अंतर्गत 40.789 हे0 एवं देवघर वन प्रमण्डल अंतर्गत 12.9614 हे0 कुल 53.7504 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– आपका पत्रांक–51 दिनांक–17.01.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये विषयक प्रस्ताव के आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने की कृपा की जायः–

(i) देवघर वन प्रमंडल अंतर्गत प्रस्तावित वनभूमि के संबंध में Online समर्पित Part-II की वन प्रमण्डल पदाधिकारी, देवघर द्वारा हस्ताक्षरित प्रति।

(ii) देवघर वन प्रमण्डल अन्तर्गत क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित भूमि नोडल पदाधिकारी के पत्र में उल्लिखित भूमि में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।

(iii) Land Schedule में कई स्थान पर उल्लिखित है कि खतियान फटा है अथवा खतियान नहीं है। इस प्रकार की भूमि को किस Category में रखा जाय।

(iv) मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक का मंतव्य।

(v) प्रस्ताव के साथ संलग्न वृक्षों की गणना सूची तथा Online पार्ट–II की कंडिका–4(ii) में उल्लिखित वृक्षों की संख्या में अन्तर को स्पष्ट करते हुए प्रतिवेदन।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–वन भूमि–03/2019– 791 व०प०, राँची, दिनांक– 21/2/2019

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/विद्युत अधीक्षण अभियंता, डाबर ग्राम ग्रिड (मेन ग्रिड जसीडीह के समीप), जसीडीह–देवघर, झारखण्ड–814142 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी

O/C